

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/1274/2022

दिनांक : 11.04.2022

श्री नवीन रतनू (RJ0946), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर को दिनांक 02.05.2022 से 05.05.2022 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 01.05.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री रतनू की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/114/2015/2808

दिनांक : 11.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 3287 दिनांक 05.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री नवीन रतनू (RJ0946), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।

सहायक रजिस्ट्रार